GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(HOME DEPARTMENT)

THE DELHI PREVENTION OF TOUTING AND MALPRACTICES AGAINST TOURISTS ORDINANCE, 2010

(DELHI ORDINANCE 01 OF 2010)

Promulgated by the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty –first year of the Republic of India

An Ordinance to make provision for the prevention of acts of touting and malpractices vis-à-vis tourists visiting the National Capital Territory of Delhi and abetment or attempt thereof, by any person in the National Capital Territory of Delhi and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi is not in session, and the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 239 B read with clause (8) of article 239 AA of the Constitution, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to promulgate the following Ordinance after obtaining instructions from the President of India in that behalf:-

PART – I
PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.** - (1) This Ordinance may be called the Delhi Prevention of Touting and Malpractices against Tourists Ordinance, 2010.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.** - (1) In this Ordinance, unless the context otherwise requires, -

(a) **"Commissioner of Police"** means the Commissioner of Delhi Police appointed under section 6 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978);

(b) **"Delhi"** means the National Capital Territory of Delhi;

(c) **"Government"** means the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239AA of the Constitution;

(d) **"malpractice"** includes dishonesty, cheating, impersonation and obstruction in allowing free choice for shopping or stay or travel arrangements;

(e) **"tourist"** means any person or group of persons including pilgrims who visits or visit Delhi from any part of India or outside India;

(f) **"touting"** includes enticing, misguiding or coercing for shopping, accommodation, transportation, sight-seeing or pestering for any particular premises, including the precincts thereof, any person, establishment, dealer or manufacturer for personal consideration;

Explanation. - Whoever loiters around airports, railway stations, bus stands, markets or any other places frequented by tourists with the intention of offering any unsolicited service to the tourist or pestering or coercing him to use any such service and exhibits such conduct so as to show such intention (like following, arguing, communicating or otherwise drawing attention of tourists through words or gestures or placards or pamphlets thereby causing obstruction or annoyance to tourists or general public) and otherwise has no reasonable explanation for frequenting the said place will be deemed to have committed the act of touting.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) shall have the meanings respectively assigned to them in the said Code.

PART II
OFFENCES AND PENALTIES

3. **Prohibition of malpractice and touting, etc.** - No person shall -

(a) commit any act of touting or malpractice against any tourist ;

(b) abet commission of any act of touting or malpractice against any tourist ;

(c) attempt to commit any act of touting or malpractice against any tourist.

4. **Penalties.** - Any person who -

(a) touts or commits malpractice shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both;

(b) abets an offence of touting or malpractice under this Ordinance, shall, notwithstanding anything contained in the Indian Penal

Code, 1860 (45 of 1860), be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;

(c) attempts to commit an offence punishable under this Ordinance shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

5. **Offences to be cognizable and bailable.** - Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the offences under this Ordinance shall be cognizable and bailable.

PART III

POWERS OF POLICE OFFICERS AND PROCEDURE FOR SPEEDY INVESTIGATION AND TRIAL OF OFFENCES

6. **Powers of arrest, search and seizure.** – (1) If an offence of malpractice or touting takes place in the presence of a police officer, not below the rank of an assistant sub inspector of police, such police officer may arrest the person and record his observations about such conduct of the individual that constituted the offence of touting.

(2) Any police officer having reason to suspect a person of indulging in the act of touting or malpractice against a tourist may search such person and may require an account in relation to any articles found in his possession and may seize such article if found suspicious and of such nature which could be used for commission of touting or malpractice against tourists.

(3) A police officer not below the rank of an assistant sub inspector of police, may enter a public or private establishment which he has reason to believe was or is being used as a place for commission of touting or malpractice against tourists and inspect the same.

7. **Removal of suspected touts or persons causing nuisance from public places frequented by tourists.** – If a police officer suspects any person of indulging in malpractice or touting or otherwise causing nuisance in a public place frequented by tourists, he may direct such person to remove himself from the said place forthwith.

8. **Persons bound to comply with the reasonable directions of police officers.** – (1) All persons shall be bound to comply with the reasonable directions given by a police officer in the discharge of his duties under this Ordinance.

(2) Where any person resists, refuses or fails to comply with any direction referred to in sub-section (1), a police officer may, without prejudice to any other action that he may take under any other provision of this Ordinance or any other law for the time being in force, remove such person and either produce him before a Metropolitan Magistrate or, in trivial cases, release him when the occasion which necessitated the removal has ceased to exist:

Provided that the persons so removed shall, in all cases, be produced before the Metropolitan Magistrate or released, as the case may be, within a period of twenty-four hours of such removal.

9. **Investigation, etc. of offences.** – (1) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall be applicable for the purposes of investigation, inquiry and trial of offences under this Ordinance:

Provided that the investigating officer shall make endeavors to complete the investigation within a period of thirty days and the officer-in-charge of the police station shall forward to the Magistrate, empowered to take cognizance of the offence on a police report, a report in the form prescribed by the Government.

(2) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974), no police officer below the rank of an assistant sub-inspector of police shall investigate an offence under this Ordinance.

10. **Cognizance and trial of offences.**– No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate shall try any offence under this Ordinance.

11. **Power of court to try cases summarily.**– (1) All offences under this Ordinance shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, as far as may be, apply to such trial.

(2) When trying any offence under this Ordinance, the Magistrate may also try any other offence with which a person may be charged in the same trial if the offence is connected with such other offence or offences.

12. **Removal of persons repeatedly involved in acts of touting or malpractice.** - The Commissioner of Police or any police officer not below the rank of a deputy commissioner of police, authorized in this behalf by general or special order by the Commissioner of Police, shall have power to declare any person who is habitually or repeatedly involved in the activities punishable under this Ordinance, out of bounds from Delhi, or any part thereof, for a period which shall not be less than six months but may extend to one year and the provisions of

2k

sections 47 to 56 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978) shall apply to the extent they are relevant or necessary.

13. **Composition of offences.** – (1) Any offence punishable under section 4 may, either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officers or authorities and for such amount as the Government may, by notification in the official Gazette, specify in this behalf.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceeding shall be taken against him in respect of such offence.

14. **Plea bargaining.**- A person accused of an offence under this Ordinance, may file an application for plea bargaining in the Court in which such offence is pending for trial and the provisions of Chapter XXI-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall be applicable in this regard.

PART IV
MISCELLANEOUS

15. **Protection of action taken in good faith.** – No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any person or officer authorized by the Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance.

16. **Ordinance not in derogation of any other law.** - The provisions of this Ordinance shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

17. **Power to make rules.** - (1) The Government may, by notification published in the official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Ordinance.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) prescription of the form for forwarding a police report under sub-section (1) of section 9 to the Magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report;

(b) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made by the Government under this Ordinance, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly of Delhi, while it is in session, for a total period of thirty days which

ay be comprised in one session or in two or more successive sessions and, if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Tkhanna

(Tejendra Khanna)
Lieutenant Governor, Delhi
1/10/2010.

Shashank

(S.B. Shashank)
Additional Secretary (Home)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(गृह विभाग)

भारत गणरा य के इकसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा प्रख्यापित दिल्ली, पर्यटकों के प्रति दलाली तथा कदाचार निवारण अध्यादेश, 2010

(2010 का दिल्ली अध्यादेश 01)

8421/Ash
4.10.10

जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भ्रमणार्थी पर्यटकों के प्रति दलाली तथा कदाचार और उसे बढ़ावा देने या प्रयास की रोकथाम तथा इस विषय से संबंधित या आनुषंगिक मामलों में प्रावधान के लिए है।

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा सत्राधीन नहीं है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जो उन्हें इस विषय में तत्काल कार्रवाई करने के लिये प्रेरित करती है।

इसलिए अब, संविधान के अनुच्छेद 239कक के खंड (8) के साथ पठित अनुच्छेद 239ख के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस विषय में भारत के राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त करने के उपरान्त निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

भाग–I

प्रारंभ

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**. – (1) इस अध्यादेश को दिल्ली, पर्यटकों के प्रति दलाली तथा कदाचार निवारण अध्यादेश, 2010 कहा जायेगा।

(2) य ह समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में लागू होगा।

(3) ाह तत्काल प्रभावी होगा।

परिभाषाएं .– इस अध्यादेश में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "पुलिस आयुक्त" का अर्थ है दिल्ली पुलिस अधिनियम (1978 का 34) की धारा 6 के अधीन नियुक्त दिल्ली पुलिस का आयुक्त;

(ख) "दिल्ली" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है;

(ग) "सरकार" का अर्थ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं अनुच्छेद 239कक के अन्तर्गत यथापदनामित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल से है;

(घ) "कदाचार" में बेईमानी, धोखाधड़ी, छद्मवेश तथा इच्छानुसार खरीदारी करने या ठहरने या यात्रा में व्यवधान डालना, शामिल है;

(ङ) "पर्यटक" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें तीर्थयात्री भी शामिल है जो भारत के किसी भाग या भारत के बाहर से दिल्ली में भ्रमणार्थ आते है;

(च) "दलाली" में प्रलोभन, भ्रमित करना या खरीदारी, आवास, परिवहन, स्थान भ्रमण के लिए बाध्य करना या व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी विशेष परिसर जिसमें उसकी अहाता भी शामिल है, किसी व्यक्ति, स्थापना, व्यापारी या विनिर्माता के विषय में परेशान करना।

स्पष्टीकरण .– यदि कोई व्यक्ति हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, मार्किट या पर्यटकों के आवगमन के स्थानों के आसपास पर्यटकों को अवांछित सेवाएं प्रदान करने या परेशान करने या किसी सेवा का प्रयोग करने के लिए बाध्य करने के इरादे से घूमता है तथा ऐसा इरादा प्रकट करने के लिए ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करता है (जैसे पीछा करना, बहस करना, पर्यटकों का शब्दों या इशारों या प्लेकार्डों या पेम्पलेट से ध्यान आकर्षित करता है जिससे पर्यटकों या सामान्य जनता को रूकावट पैदा होती है या चिढ़ होती है) तथा उक्त स्थान पर घूमने का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं देता है उसे दलाली कार्य का अपराधी माना जायेगा।

(2) ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ जो यहां प्रयुक्त है परन्तु परिभाषित नहीं है तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में परिभाषित है उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो उक्त संहिता में दिया गया है।

भाग–II

अपराध एवं अर्थदंड

3. कदाचार तथा दलाली आदि का निषेध .– कोई व्यक्ति —

(क) किसी पर्यटक के प्रति दलाली या कदाचार नहीं करेगा;

(ख) किसी पर्यटक के प्रति दलाली या कदाचार को प्रोत्साहित नहीं करेगा;

(ग) किसी पर्यटक के प्रति दलाली या कदाचार का प्रयास नहीं करेगा।

4. किसी व्यक्ति को दंड जो —

(क) दलाली या कदाचार करता है उसे एक वर्ष तक कैद या दस हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते है;

(ख) इस अध्यादेश के अंतर्गत दलाली या कदाचार को बढ़ावा देता है, तो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में कोई भी उपबंध रहते हुए, उसको छह महीने की कैद या पाँच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं;

(ग) इस अध्यादेश के अन्तर्गत दंडनीय कोई अपराध करने का प्रयास करता है उसको तीन महीने की कैद या दो हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं;

5. अपराध संज्ञेय तथा जमानती होगा .– दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में कुछ भी उपबंध रहते हुए इस अध्यादेश के अंतर्गत अपराध संज्ञेय तथा जमानती होंगे।

भाग–III

पुलिस अधिकारियों की शक्तियों तथा अपराध की त्वरित जाँच तथा मुकदमें की प्रक्रिया

6. **गिरफ्तारी, तलाशी तथा जब्ती का अधिकार** .– (1) यदि कोई कदाचार अथवा दलाली का अपराध ऐसे पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में होता है जो पुलिस के किसी सहायक उप–निरीक्षक से कम पद का न हों, तो ऐसा पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है तथा उस व्यक्ति के संबंध में जिसने दलाली का अपराध किया हो, के विषय में अपने विचारों को अभिलेखबद्ध करेगा।

(2) कोई पुलिस अधिकारी जिसके पास किसी पर्यटक के प्रति दलाली किये जाने या कदाचार के कार्य में लिप्त किसी व्यक्ति के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो वह ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकता है तथा उसके पास से प्राप्त किसी वस्तु के संबंध में पूछताछ कर सकता है तथा ऐसी वस्तु को जब्त कर सकता है यदि वह सन्देहास्पद हो तथा स्वरूप की हो जो किसी पर्यटक के विरूद्ध कदाचार अथवा दलाली करने के लिए प्रयुक्त किया जा सके।

(3) वह पुलिस अधिकारी जो पुलिस में किसी सहायक उप–निरीक्षक की रैंक से कम रैंक का न हो, वह ऐसे सार्वजनिक अथवा निजी संस्थापना में प्रवेश कर सकता है जिसका उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो या जिसे पर्यटकों के विरूद्ध कदाचार या दलाली करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा हो, वहां निरीक्षण कर सकता है।

7. **पर्यटकों के आवागमन के सार्वजनिक स्थलों पर उपद्रव करने वाले संदिग्ध दलालों अथवा व्यक्तियों को हटाना** .– यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति पर सन्देह होता है जो कदाचार में लिप्त है अथवा दलाली कर रहा है अथवा पर्यटकों के आवागमन के सार्वजनिक स्थल में किसी अन्य प्रकार से उपद्रव करता हुआ पाया जाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्थान से तुरन्त हटने का निदेश देगा।

पुलिस अधिकारियों के उचित निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति .– सभी व्यक्ति इस अध्यादेश के अन्तर्गत अपने कार्यों का निवर्हन करने वाले किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए उचित निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) में उल्लिखित किन्ही निदेशों का पालन करने से मना करता है या पालन नहीं करता है या उसका विरोध करता है तो पुलिस अधिकारी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस अध्यादेश के किसी अन्य उपबंध के अधीन कर सकता है अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को हटा सकता है तथा उसे महानगर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है अथवा हल्के मामलों में उसे छोड़ सकता है, जब ऐसा मौका हो जो उसे छोड़े जाने के लिए अनिवार्य हो।

उपबंध है कि इस प्रकार हटाये गये व्यक्ति को समस्त मामलों में ऐसे हटाये जाने के चौबीस घंटे के भीतर महानगर दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या रिहा किया जाएगा, जैसी भी स्थिति हो।

9. **अपराधों की जाँच इत्यादि** .–(1) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के उपबंध जाँच, पूछताछ तथा इस अध्यादेश के अधीन विचारणा के उद्देश्यों के लिए लागू होंगे।

उपबंध है कि जाँच अधिकारी तीस दिनों के अन्दर जाँच पूरी करने का प्रयास करेगा तथा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए शक्ति प्राप्त मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुए सहायक उप–निरीक्षक से कम रैंक का कोई भी अधिकारी इस अध्यादेश के अधीन अपराधों की जाँच नहीं करेगा।

10. **अपराधों का संज्ञान एवं मुकदमा** .– किसी महानगर दण्डाधिकारी से कम कोई भी न्यायालय इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध पर मुकदमा नहीं चलाएगा।

संक्षिप्त मामलों पर मुकदता चलाने के लिए न्यायालय की शक्ति .–(1) इस अध्यादेश के अधीन समस्त अपराधों पर महानगर दण्डाधिकारी द्वारा संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाया जाएगा तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 262 से 265 (दोनों सम्मिलित) के उपबंध यथासंभव ऐसे मुकदमें पर लागू होंगी।

(2) इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध पर मुकदता चलाने के लिए मजिस्ट्रेट किसी अन्य अपराध पर भी मुकदमा चला सकता है जिसके साथ किसी व्यक्ति को ऐसे ही मुकदमें में आरोपित किया गया हो, यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध अथवा अपराधों से संबंधित हो।

12. **दलाली अथवा कदाचार के कार्यों में बार–बार संलिप्त व्यक्ति को हटाना** .– पुलिस आयुक्त या अन्य पुलिस अधिकारी जो पुलिस आयुक्त द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया उपायुक्त पुलिस से कम रैंक का न हो उसे किसी व्यक्ति को ऐसा घोषित करने की शक्ति होगी जो आदतन अथवा बार–बार इस अध्यादेश के अन्तर्गत दंडनीय गतिविधियों में सम्मिलित हो रहा हो तो उसे दिल्ली से बाहर अथवा उसके किसी भाग से उस अवधि के लिए बाहर करने की शक्ति होगी जो अवधि छह माह से कम नहीं होगी लेकिन उसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 47 से 56 के उपबंध उस सीमा तक लागू होंगे जो सुसंगत अथवा आवश्यक हो।

13. **अपराधों का शमन** .– (1) धारा 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर अभियोजन चलाने से पूर्व अथवा पश्चात् ऐसे अधिकारियों अथवा प्राधिकारियों द्वारा तथा सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट राशि द्वारा अपराध का शमन होगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया हो, अपराधी यदि अभिरक्षा में है तो उसे छोड़ दिया जाएगा तथा ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरूद्ध आगामी कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

14. **अपराध दंड सौदा** .–इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति उस न्यायालय में अपराध दंड सौदा के लिए आवेदन कर सकता जिस न्यायालय में ऐसा अपराध मुकदमें

संबित है तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2)के अध्याय XXI–ए के उपबंध इस संबंध में लागू होंगे।

अध्याय –IV

विविध

15. **सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण** .– कोई भी ऐसा वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही सरकार अथवा किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरूद्ध किसी भी कार्य के लिए नहीं होंगे जो कि सद्भावनापूर्वक किए गए हों अथवा इस अध्यादेश के अन्तर्गत उनके किए जाने का आशय हो।

16. **अध्यादेश द्वारा किसी अन्य विधि का अल्पीकरण न करना** .– इस अध्यादेश के उपबंध इनके अतिरिक्त होंगे तथा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों का अल्पीकरण नही करेंगे।

17. **नियम बनाने की शक्ति** .– (1) सरकार, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्व शक्तियों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी अथवा किन्ही मामलों पर लागू होंगे, अर्थात् –

(क) पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए शक्ति प्राप्त किसी मजिस्ट्रेट को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन पुलिस रिपोर्ट भेजने के लिए प्रपत्र का प्रारूप।

(ख) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया गया या किए जाने के लिए अपेक्षित हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम के बनने के तुरन्त बाद इस यथाशीघ्र विधानसभा के सत्र के तीस दिनों के अन्तर्गत चाहे वह एक दो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों का समाहार हो, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपयुक्त अवधि के अन्तर्गत यदि सदन नियम में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए सहमत होता है या इसके लिए सहमत होता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम या तो संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो, तथापि ऐसे संशोधन या निरसन का उक्त नियम के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तेजेन्द्र खन्ना 1/10/

(तेजेन्द्र खन्ना)
उपराज्यपाल

(एस0 बी0 शशांक)
अतिरिक्त सचिव (गृह)